अत्यंत महत्वपूर्ण
विधानसभा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय उद्योग आयुक्त
उद्योग सदन, 419 औद्योगिक क्षेत्र पटपड़गंज, दिल्ली 110092

फा.सं0 सी.आई./डी.सी.आई./क्यू.सी./2019/ 600 दिनांक : 29/11/2019

सेवा में,

उपसचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

विषयः दिल्ली विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 66 दिनांक 02.12.2019 को सदन की बैठक हेतु।

महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां, माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

यह सूचना सक्ष्म पदाधिकारी की स्वीकृति से जारी है।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

विनोद कुमार
(विनोद कुमार)
उपायुक्त उद्योग (प्र0शा0)

प्रतिलिपि :

1. सचिव , माननीय उद्योग मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की दो प्रतियां सहित ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय , दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियां सहित ।

विनोद कुमार
उपायुक्त उद्योग (प्र0शा0)

विभाग का नाम :– कार्यालय आयुक्त उद्योग

विभाग का पता:–कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र
पटपड़गंज, दिल्ली–110092

अतारांकित प्रश्न संख्या : 66
दिनांक : – 02/12/2019
प्रश्नकर्ता:– श्री गिरीश सोनी

सं.	प्रश्न	उत्तर
क	सरकार द्वारा दिल्ली में लघु और कुटीर अद्योग को बढ़ावा देने के लिए कब–कब क्या उपाय किए हैं, पूर्ण विवरण उपलब्ध करें ?	सरकार द्वारा दिल्ली में लघु और कुटीर अद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं : 1. रजिस्ट्रेशन के लिए आधार से लिंक आसान और सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा। 2. एम.एस.एम.ई. रजिस्ट्रेशन के पश्चात बैंको से उद्यमियों को एम.एस.एम.ई. लोन की सुविधा। 3. एम.एस.एम.ई. रजिस्ट्रेशन के होने पर सप्लायार से पैसे वापसी हेतु एम.एस.एम.ई. समाधान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन केस रजिस्ट्रेशन की सुविधा। 4. राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना जिसके अंतर्गत योग्य प्रस्तावित और कार्यरत इकाई को 03 लाख तक का लोन दिया जाता है। 5. लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये मास्टर प्लान 2021 में संशोधन हुआ है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान घरेलु उद्योगों के लिये किये गये है:– 1) पॉच मजदूर की जगह अब 9 मजदूर रखें जा सकते है। 2) पॉच किलोवाट पावर की जगह अब 11 किलोवाट पावर घरेलु उद्योग के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।

(विनोद कुमार)
उपायुक्त उद्योग